पत्र संख्या–6 / योजना–01–17 / 2014 गृ0आ0.......................... /

बिहार सरकार
गृह (आरक्षी) विभाग

प्रेषक,

आमिर सुबहानी
सरकार के प्रधान सचिव

सेवा में,

महालेखाकार (लेखा एवं हक0)
बिहार, पटना।

पटना, दिनांक जनवरी, 2016

विषयः– **पुलिस तथा अन्य बलों की आधुनिकीकरण हेतु राष्ट्रीय स्कीम के तहत राज्य योजनान्तर्गत भारत सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2013–14 में प्रशिक्षण केन्द्र तथा अन्य भवनों के निर्माणार्थ स्वीकृत योजनाओं के लिए शेष राज्यांश की राशि ₹ 300.00 लाख (तीन करोड़ रू0) विमुक्त करने के संबंध में।**

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि वित्तीय वर्ष 2013–14 के लिए पुलिस तथा अन्य बलों की आधुनिकीकरण हेतु राष्ट्रीय स्कीम के तहत गृह (आरक्षी) विभाग के स्वीकृत्यादेश संख्या–9082, दिनांक–24.10.2014 द्वारा प्रशिक्षण केन्द्र तथा अन्य भवनों के निर्माणार्थ कुल लागत राशि ₹ 15671.873 लाख (एक सौ छप्पन करोड़ इकहत्तर लाख सतासी हजार तीन सौ रू0) की प्रशासनिक स्वीकृति देते हुए राज्यांश की राशि ₹ 3121.00 लाख (एकतीस करोड़ इक्कीस लाख रू0) विमुक्त की गयी थी।

2. उक्त योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु कुल लागत राशि भारत सरकार द्वारा केन्द्रांश के रूप में 60% एवं राज्य सरकार द्वारा राज्यांश के रूप में 40% वहन किया जाना है। भारत सरकार द्वारा केन्द्रांश की राशि ₹ 5131.00 लाख (इक्कावन करोड़ इकतीस लाख रू0) बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम के बैंक खाते में सीधे जमा करा दिया गया है, जिसकों व्यय करने की स्वीकृति उक्त स्वीकृत्यादेश द्वारा दे दी गयी है।

3. केन्द्रांश की राशि ₹ 5131.00 लाख के विरूद्ध राज्यांश की ₹ 3421.00 लाख में से शेष देय राशि ₹ 300.00 लाख (तीन करोड़ रू0) विमुक्त करने की स्वीकृति दी जाती है।

4. उपर्युक्त विमुक्त राशि ₹ 300.00 लाख (तीन करोड़ रू0) राज्य योजनान्तर्गत मांग संख्या–22 के बजट शीर्ष–4055–पुलिस पर पूंजीगत परिव्यय–उप मुख्यशीर्ष–00–लघु शीर्ष–051–निर्माण उपशीर्ष–0304–पुलिस तथा अन्य बलों के आधुनिकीकरण हेतु राष्ट्रीय स्कीम विपत्र कोड–P4055000510304 एवं विषय शीर्ष–53 01–मुख्य निर्माण कार्य के अन्तर्गत चालू वित्तीय वर्ष 2015–16 में द्वितीय अनुपूरक आगणन के माध्यम से बजट में उपबंधित राशि से विकलनीय होगा।

5. उपर्युक्त राशि की निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, पुलिस महानिरीक्षक के सहायक (कल्याण), बिहार, पटना होंगे तथा राशि की निकासी सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना से की जायेगी।

6. भवन निर्माण का कार्य बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम द्वारा किया जायेगा तथा राशि की निकासी कर बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम, पटना के पी0एल0 खाता में जमा किया जायेगा।

7. बिहार कोषागार संहिता 2011 में विहित विपत्र पर राशि की निकासी की जायेगी।

8. राशि निकासी के लिए विपत्र के साथ आवश्यकतानुसार कागजातों को संलग्न किया जायेगा।

9. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा विपत्र पर दिये जाने वाले प्रमाण–पत्र का उल्लेख अवश्य करेंगे।

10. उपयोगिता प्रमाण–पत्र तीन माह के अन्तर्गत समर्पित किया जायेगा।

11. कार्यालय में निकासी एवं व्यय संबंधी पंजी का संधारण किया जायेगा।

विश्वासभाजन

ह0 / –

(आमिर सुबहानी)
सरकार के प्रधान सचिव

ज्ञाप सं0 :–6 / योजना–01–17 / 2014गृ0आ0. 85 / पटना, दिनांक 05 जनवरी, 2016

प्रतिलिपिः–कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना / पुलिस महानिदेशक, बिहार, पटना / पुलिस महानिदेशक–सह–अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक, बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम, पटना / अपर पुलिस महानिदेशक (आधुनिकीकरण), बिहार, पटना / पुलिस महानिरीक्षक के सहायक (कल्याण) बिहार, पटना / आई0टी0 प्रबंधक, गृह विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के प्रधान सचिव
5.1.16